<u>न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच।</u>

चुनाव याचिका सं०-01/2023

<u>कु० विजय पुष्पम सिंह--- बनाम--- यूसुफ अली आदि</u>

<u>दिनांक-20.05.2025</u>

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी।

पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी/ विपक्षी संख्या-1 यूसुफ अली की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री गया प्रसाद मिश्रा, द्वारा इस आशय का मौका (adjournment) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि, मुकदमा उपरोक्त वास्ते जिरह विपक्षी संख्या-1 हेतु नियत है किन्तु साक्षी विपक्षी संख्या-1 के कमर व पैर की हड्डी में दर्द व उसकी वजह से नसो में दबाव व पैरो में झनझनाहट होने की वजह से प्रार्थी खड़े रहने व चलने फिरने में असमर्थ है। इसलिए जिरह हेतु अदालत नहीं आ सका है। साक्षी विपक्षी संख्या-1 को डॉक्टर ने दो सप्ताह के बेडरेस्ट की सलाह दी है। अतः न्यायहित में एक अवसर प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

साक्षी विपक्षी संख्या-1 के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द मिश्रा, द्वारा प्रार्थना पत्र के हासिये पर आपत्ति अंकित की गयी है कि, "विपक्षी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रहा है। वाद को लम्बित रखने हेतु असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।"

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, पत्रावली विपक्षी संख्या-1 के साक्ष्य हेतु नियत चली आ रही है, विगत तिथि पर भी विपक्षी संख्या-1 की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था। आज पुनः विपक्षी संख्या-1 की तबीयत खराब होने के आधार पर मामले को स्थगित कराये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैसरगंज बहराइच का बाह्य रोगी पर्चा पंजीकरण संख्या-44995 दिनांकित-19-05-2025 प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें दो सप्ताह के बेड रेस्ट हेतु लिखा है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि, विपक्षी को नशों से सम्बन्धित बीमारी है जिसके कारण उसके पैरो में दर्द हो रहा है। विपक्षी संख्या-1 के द्वारा प्रिस्किप्शन का पर्चा दाखिल किया गया है कोई मेडिकल प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके की उसे किस बीमारी से और किस वजह से डॉक्टर द्वारा बेड़ रेस्ट कहा गया है। विपक्षी द्वारा पूर्व में भी मेडिकल ग्राउण्ड के आधार पर समय की याचना की गयी थी, जिसे न्यायालय द्वारा हर्जे पर स्वीकार किया गया था।

न्यायहित में यह अदालत मु० 500/- रूपये हर्जे पर अन्तिम अवसर के साथ स्वीकार करती है तथा विपक्षी को हिदायत दी जाती है कि वह नियत तिथि पर जिरह हेतु उपस्थित हो तदनुसार प्रार्थना पत्र मौका (adjournment) स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जिरह डी०डब्लू०-1 दिनांक-29.05.2025 को पेश हो।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।